परिणामी बजट वर्ष 2020-21

विभाग- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2020-21	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
1	मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना	छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के जरिए राज्य के सभी पात्र एवं जरूरतमंद परिवारों को निर्धारित पात्रतानुसार चावल का प्रदाय सुनिश्चत करना ।	34098305	65.13 लाख हितग्राही परिवार प्रतिमाह इस योजना के माध्यम से लाभान्वित होंगे।	
2	रियायती दर पर आयोडाईज्ड नमक वितरण	खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चिन्हांकित अन्त्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों के राशनकार्डधारियों को अनुसूचित क्षेत्रों में प्रतिमाह 02 किलो तथा गैर अनुसूचित क्षेत्रों में प्रतिमाह 01 किलो आयोडीनयुक्त नमक उपलब्ध कराया जाता है।	493403	56.01 लाख राशनकार्डधारी परिवार इस योजना के माध्यम से प्रतिमाह लाभान्वित किया जाना	
3	अन्नपूर्णा योजना	65 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे बेसहारा वृद्ध जो वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की पात्रता रखते है किन्तु उन्हें वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, को प्रतिमाह 10 किलो चावल नि:शुल्क प्रदाय किया जा रहा है ।	5751	योजनांतर्गत 6172 लाभान्वित हितग्राहियों को प्रतिमाह 10 किलो चावल नि:शुल्क उपलब्ध कराना ।	
4	अंत्योदय अन्न योजना	उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से अति गरीब परिवारों को रूपए 1.00 प्रति किलो की दर से प्रतिमाह 35 किलो चावल प्रदाय किया जाना ।	98700	13.95 लाख हितग्राहियों को प्रतिमाह लाभान्वित करना ।	
5	शक्कर वितरण योजना	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारियों को 17 रूपए प्रति किलो की दर से प्रतिमाह 1 किलो शक्कर का प्रदाय करना।	1000000	56.01 लाख हितग्राहियों को प्रतिमाह लाभान्वित करना	
6	अंत्योदय अन्न योजनांतर्गत चना का प्रदाय	राज्य के अनुसूचित विकासखण्डों एवं माडा पाकेट क्षेत्र के अन्त्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों के राशनकार्डधारियों को प्रत्येक माह 02	1710000		

परिणामी बजट वर्ष 2020-21

विभाग- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2020-21	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
		किलोग्राम प्रति किलो 5/- रूपए की दर से चना प्रदाय करना।		प्रतिमाह 25.87 लाख कार्डधारियों को चना उपलब्ध कराना।	
7	पहुँचविहीन क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में खाद्य भंडारण हेतु सहायता ।	राज्य के ऐसे स्थानों में, जहाॅ वर्षाऋतु के दौरान आवागमन अवरूद्ध हो जाते है वहां खाद्यान्न, शक्कर, अमृत नमक तथा केरोसिन उपभोक्ताओं को सुलभ उपलब्ध कराने की दृष्टि से वर्षा ऋतु के पूर्व अग्रिम भण्डारण किया जाता है ।	25000	222 पहुंचविहीन दुकानों में वर्षाऋतु के दौरान अग्रिम खाद्यान का भ्ण्डारण कराना	
8	नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण	नाबार्ड के सहायता से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न भण्डारण हेतु गोदाम निर्माण किया जा रहा है ।	1540000	अनुसूचित एवं माडा क्षेत्र में 1500 भवन विहीन दुकानों में नवीन दुकान सह गोदाम निर्माण तथा 300 गोदामों का विस्तरीकरण	
9	सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण	पाइंट आफ सेल उपकरण के जरिए उचित मूल्य दुकानों के कम्प्यूटरीकरण सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त क्रियाकलापों की विद्यमान कम्प्यूटरीकरण व्यवस्था का संचालन ।	298000	सतत जीपीआरएस कनेक्टिविटी वाली अनुमानित 12,310 उचित मूल्य दुकानों का कम्प्यूटरीकरण	
10	गुड वितरण योजना	बस्तर संभाग के सभी राशनकार्डधारी परिवारों को रियायती दर पर गुड़ प्रदाय करना।	500000	बस्तर संभाग के 6.56 लाख राशनकार्डधारी परिवार को प्रतिमाह लाभान्वित किया जाना।	
11	उचित मूल्य दुकानों को वित्तीय पोषण	चावल के 150 क्विंटल तक मासिक आबंटन वाली उचित मूल्य दुकानों का संचालन लाभदेय बनाए रखने हेतु इनके लिए मासिक वित्तीय पोषण की राशि प्रदाय करना।	850000	150 क्विंटल तक मासिक आबंटन वाली 8,492 दुकाने	
12	त्यौहारों/मेला हेतु दाल-भात केन्द्रों का संचालन	राज्य में होने वाले प्रमुख त्यौहारों/मेला-राज्योत्सव, के दौरान अस्थायी रूप से दाल-भात केन्द्रों के संचालन हेतु भारत सरकार की त्योहार/मेला हेतु खाद्यान्न आबंटन	4800		

परिणामी बजट वर्ष 2020-21

विभाग- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2020-21	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
		की योजना के अंतर्गत डैच कमतपअमक दर पर चावल प्रदाय करना।		1700 क्विंटल चावल का वार्षिक आबंटन जारी करना	